

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-

Ref: CMD-2/G-18

07 03 2018

Subject: Circular regarding Marking Fee

The Marking Fee approved by the Competent Authority, which is effective from 07 03 2018, is attached for compliance by all BOs

**Sd/-
Section Officer**

Circulated to all ROs/BOs

Copy to: ITS for hosting on Intranet

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ: के.मु.वि.2/जी-18

07 03 2018

विषय: मुहरांकन शुल्क परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मुहरांकन शुल्क, जो 07 03 2018 से प्रभावी हैं, सभी शाखा कार्यालयों के अनुपालन हेतु संलग्न है ।

**हस्ता/-
अनुभाग अधिकारी**

सभी क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों को परिचालित

प्रतिलिपि: आई टी एस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

दूरभाष Phones : 2323 0131 / 2323 3375 / 2323 9402

वेबसाईट Website : www.bis.org.in

संदर्भ: सी एम डी-2/जी -18

07 03 2018

विषय : राजपत्र अधिसूचना - मुहरांकन शुल्क

प्रबन्धक

भारत सरकार का मुद्रणालय

रिंग रोड, मायापुरी,

नई दिल्ली 110064

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ, साथ में अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद भी संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि इसे भारत के राजपत्र भाग 2 के खंड 3 के उपखंड (ii) के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

धन्यवाद।

भवदीय,

प्रसादा राव
07/03/18

(एम.वी.एस.डी प्रसादा राव)

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

अनुलग्नक : 2

भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली

अधिसूचना

भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :

अनुसूची

भारतीय मानक संख्या	भाग	अनु. भाग	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क (रु)		इकाई दर स्लैब 1 (रु)	स्लैब में इकाईयां	इकाई दर स्लैब 2 (रु)	स्लैब में इकाईयां	इकाई दर स्लैब 3 (रु)	स्लैब में इकाईयां	प्रचालन तिथि
						बड़े पैमाने पर	एम एस एम इ के लिए							
11996	-	-	1987	डेल्टामेथरिन ईसी	100 लीटर	49000	40000	33.00	सभी	0	0	0	0	07 03 2018
4824	-	-	2006	टायरों हेतु बीड वॉयर	1 मी. टन	79000	64000	6.50	सभी	0	0	0	0	07 03 2018
646	-	-	1986	द्रवित क्लोरिन, तकनीकी	1 मी. टन	51000	41000	0.55	सभी	0	0	0	0	07 03 2018

प्रसादी राव
07/03/18
(एम.वी.एस.डी प्रसादा राव)
उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

हमारा संदर्भ : सीएमडी-2/जी -18

दिनांक : 07 03 2018


TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)
 Ministry of Consumers Affairs Food and Public Distribution
 (Department of Consumer Affairs)
 BUREAU OF INDIAN STANDARDS
 New Delhi

NOTIFICATION

In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking Fee for the product given in the schedule:

THE SCHEDULE

IS No.	p	t	Sec	Year	Product	Units	Minimum Marking Fee (Rs.)		Slab 1 Rate (Rs.)	Slab 1 Qty	Slab 2 Rate (Rs.)	Slab 2 Qty	Slab 3 Rate (Rs.)	Slab 3 Qty	Effective Date
							Large Scale	MSME							
11996	-	-	-	1987	Deltamethrin EC	100 Litres	49000	40000	33.00	All	0	0	0	0	07 03 2018
4824	-	-	-	2006	Bead Wire For Tyres	1 MT	79000	64000	6.50	All	0	0	0	0	07 03 2018
646	-	-	-	1986	Liquid Chlorine Technical	1 MT	51000	41000	0.55	All	0	0	0	0	07 03 2018


 (M. V. S. D. Prasada Rao)
 DDG (Certification)

Our Ref : CMD-2/G-18

Dated : 07 03 2018